न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 110/2025

जीसीएमएस सं. 2025/313

अपीलांट्सः–

श्रीमती जडाव देवी पुत्री स्व. श्री देवजी धर्मपत्नी श्री चिमन सिंह जाति पुरोहित निवासी देसलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. बद्रीसिंह पुत्र स्व. श्री देवजी–फौत के कायम मुकामः–
   1/1 भंवर सिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह
   1/2 बाबू सिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह
   1/3 नरसिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह
   1/4 मूल सिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह
   1/5 संपत देवी पत्नी स्व. बद्री सिंह (मृत्यु होने से नाम विलोपित)
   सभी जाति राजपुरोहित, निवासी नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
   1/6 शांति पुत्री स्व. बद्री सिंह पत्नी श्री राम सिंह जाति राजपूरोहित निवासी देसलसर, पुरोहितान, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।
2. चुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री देवजी धर्मपत्नी श्री चौथु सिंह
3. छगु देवी पुत्री स्व. श्री देवजी धर्मपत्नी श्री भंवर सिंह
   दोनों जाति राजपुरोहित निवासी हियादेसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।
4. इन्द्रा देवी पुत्री स्व. श्री देवजी धर्मपत्नी श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपुरोहित निवासी देसलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।
5. तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध नामांतरकरण सं. 705 ग्राम नारनाडी दिनांक 15.09.1998, जो तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित(प्रत्यर्थीगण सं. 1/1 से 1/4 तक की ओर से)
3. प्रत्यर्थी सं. 1/6, 2 से 4 तामिल बावजूद अनुपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय **दिनांक 25.05.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत, ग्राम नारनाडी का नामांतरकरण सं. 705, जो तहसीलदार, लूणी द्वारा दिनांक 15.09.1998 को पारित किया गया, को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 30.07.2015 को प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थी सं. 1/1 से 1/4 तक की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित व अन्य ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 तक की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। शेष प्रत्यर्थी तामिल बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी तथा प्रत्यर्थी सं. 01 से 04 के पिता स्व. देवजी की खातेदारी की भूमि ग्राम नारनाडी के ख.नं. 568 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा आई हुई है। देवजी का वर्ष 1992 में देहांत के पश्चात् उपरोक्त भूमि का अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 705 दिनांक 15.09.1998 को केवल उनके पुत्र प्रत्यर्थी सं. 01 बद्री सिंह के नाम तहसीलदार, लूणी द्वारा मृतक खातेदार के समस्त वारिसान की जांच किये बिना दर्ज कर दिया तथा अपीलार्थीनी व प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 का नाम दर्ज नहीं किया।

   अपीलार्थीनी मृतक खातेदार स्व. श्री देवजी की पुत्री है तथा उनकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा उनके देहांत के पश्चात् उनकी खातेदारी भूमि की खातेदार हो गई है। अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 705 स्व. देवजी के समस्त वारिसान की जांच किये बिना पारित किया गया होने से शून्य आदेश है तथा इस प्रकार के आदेश से अपीलार्थीनी के हक अधिकार समाप्त नहीं होते है तथा अपीलार्थीनी अपने पिता स्व. देवजी की खातेदारी भूमि पर अपने नाम से नामांतरकरण करवाने की अधिकारी है। अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलार्थीनी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किया गया होने तथा प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन नामांतरकरण मृतक खातेदार के समस्त वारिसान की जांच किये बिना पारित किया गया होने से विधि विरूद्ध है तथा इस नामांतरकरण के आधार पर की गई समस्त पश्चात्वर्ती कार्यवाही स्वतः ही शून्य व निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 705 ग्राम नारनाडी दिनांक 15.09.1998 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मृतक खातेदार स्व. देवजी के समस्त वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण किये जाने हेतु मामला तहसीलदार, लूणी को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलांट ने इस अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलार्थी की गैर हाजरी में तथा सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किये गया होने से अपीलार्थी को इसकी जानकारी नहीं थी तथा अपीलार्थी दूरदराज की घरेलू महिला होने से अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी नहीं हो सकी। प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा विवादित भूमि को बेचने की सुनने पर दिनांक 14.07.2015 को पटवारी हल्का नारनाडी से खतौनी की नकल प्राप्त की, तब उसको पढने से विवादित ख.नं. 568 प्रत्यर्थी 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई, जिसके बाद पटवारी हल्का से अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 705 की उसी रोज नकल प्राप्त कर अपील तैयार कर जानकारी से अंदर म्याद पेश है। अपील पेश करने में जानबूझ कर किसी प्रकार की कोई देरी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील को अंदर म्याद पेश होना सुमार करने का आदेश फरमावे।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण मृतक खातेदार के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना एवं मृतक खातेदार देवजी की पुत्री अपीलार्थीनी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना अकेले उनके पुत्र के नाम से गैर कानूनी, शून्य व गलत नामांतरकरण दर्ज किया, इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार की म्याद लागू नहीं होती है, जिसके संबंध में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 1989 RRD Page 45 Lamuram VS State of Raj., 1994 RRD Page 604 Shera Ram VS Mota Ram & Ors, 1994 RRD Page 606 Girja Bai VS Smt. Nathi Bai, 2002 (1) RRT Page 257 Sbobai VS Shimbhu & Ors, 1994 RRD Page 505 Jetha Ram VS Tehsildar, Sojat & Anr. पेश है। म्याद के बिंदु को तय करने से पहले अपील के गुणदोष पर विचार किया जाना आवश्यक होता है जिसके संबंध में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 1998 RRD Page 319 (High court) Urban Improvement Trust VS Punam Chand पेश है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में अपीलार्थीनी का निवेदन है कि अपीलार्थीनी मृतक खातेदार देवजी की पुत्री है तथा उसकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, जिसको उसके पिता की भूमि पर उत्तराधिकारी का कानूनी अधिकार प्राप्त होने से वह

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपने नाम नामांतरकरण दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपीलार्थीनी को देवजी की पुत्री होने से इंकार नहीं किया है तथा अपीलार्थीनी की अपील व शपथपत्र को कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए अपीलार्थीनी की अपील स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावे।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 के कायम मुकाम 1/1 से 1/4 के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित ने अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्को का खण्डन करते हुए कथन किया कि हमारी ओर से पूर्व में प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से म्याद बिंदु व गुणावगुण पर लिखित बहस पेश की जा चुकी है, जिसको प्रत्यर्थी सं. 1 के कायम मुकाम 1/1 से 1/4 की ओर से बहस माना जावे।

अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 13.07.2015 को अन्य अपील में पेशी पर आने पर जोधपुर आने पर प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा विवादित भूमि को बेचने की सुनने पर दिनांक 14.07.2015 को पटवारी हल्का नारनाडी से खतौनी की नकल प्राप्त की, तब उसको पढने से विवादित ख.नं. 568 प्रत्यर्थी 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी होने का कथन किया है, जो सरासर झूठ व कपोल कल्पित है, क्योंकि अपीलार्थी का पीहर आना जाना खूब रहता है, यह किसी भी रूप में माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी सन् 1998 के बाद कभी भी जोधपुर नहीं आई। प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.04.2014 को अपने–अपने शपथ पत्र पेश किये जा चुके है, जिसमें अंकित है कि उक्त जमीन में हम चारों बहिनों का जो बंट था, वह शादी के वक्त गहने व रोकड रूपये प्राप्त कर बंट प्राप्त कर लिया था, उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन हम सभी चारों बहनों की सहमति से हमारे भाई बद्रीसिंह के नाम पारित करवाया गया था। उक्त तीनों शपथ पत्र पूर्व से ही पत्रावली पर मौजूद है। जमीनों के भाव बढने से अपीलार्थी की नियत खराब हो गई है और अब उक्त जमीन हडपना चाहती है। असाधारण विलंब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये जाने पर किसी भी रूप से विलंब को माफ नहीं किया जा सकता। उक्त बिंदु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति आरआरटी 2007 (2) पेज सं. 939 पेश है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से काबिले खारिज है।

प्रत्यर्थी सं. 1 के कायम मुकाम 1/1 से 1/4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुणावगुण पर पेश लिखित बहस अनुसार अपीलाधीन नामांतरकरण में विवादग्रस्त आराजी मृतक देवजी की खातेदारी की रही है, यानि जिस पूर्वज देवजी की संपति पर अपीलार्थी अपना अधिकार बता रही है, उनका देहांत दिनांक 09.09.2005 से पूर्व यानि वर्ष 1992 में हो चुका था, जिसके बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. सं. 7217/13 प्रकाश बनाम फुलवंती व अन्य में पारित निर्णय अनुसार पैतृक संपति में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दिनांक 09.09.2005 को हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन होने के पूर्व पुत्री को मृतक की मृत्यु दिनांक 09.09.2005 से पूर्व होने पर सहदायिकी सदस्य नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार अधिकार पुत्रों के समान प्राप्त नहीं होगा।

प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.04.2014 को अपने–अपने शपथ पत्र पेश किये जा चुके है, जिसमें अंकित है कि उक्त जमीन में हम चारों बहिनों का जो बंट था, वह शादी के वक्त गहने व रोकड रूपये प्राप्त कर बंट प्राप्त कर लिया था, उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन हम सभी चारों बहनों की सहमति से हमारे भाई बद्रीसिंह के नाम पारित करवाया गया था। फिर भी यदि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की है, जो किसी भी रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जिसे खारिज फरमाया जावे। जमीनों के भाव बढने से अपीलार्थी की नियत खराब हो गई है और अब उक्त जमीन हडपना चाहती है। अपील एक फिस्कल प्रोसिडिंग होने से पक्षकारान् के अधिकार भी तय नहीं किये जा सकते है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा माननीय महोदय के समक्ष एक और अपील सं. 01/14 पेश की गई है, जिसमें अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.12.2013 को होना अंकित किया है, जबकि उक्त अपील में दिनांक 13.07.2015 को होना अंकित किया। इससे जाहिर है कि अपीलार्थीनी साफ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जो साफ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, उन्हे न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्रापत करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील सव्यय खारिज की जावे।

7. प्रत्यर्थी सं. 02 से 04 तक का जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार चारों बहिनों को शादी के वक्त खेत खसरा सं. 158, 157, 568, 119, 162, 205 व 502 वाके ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी में हम चारों बहिनों का जो बंट था, वह शादी के वक्त गहने व रोकड रूपये प्राप्त कर बंट प्राप्त कर लिया था। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के पिता का सन् 1992 में देहांत हो जाने से फौतेदगी म्यूटेशन चारों बहिनों की सहमति से माता श्रीमती गैर कंवर व भाई बद्री सिंह (प्रत्यर्थी सं. 1) के नाम से पारित करवाया था। तत्पश्चात् वर्ष 1997 में माता गैर कंवर का देहांत हो गया, जिनका फौतेदगी म्यूटेशन भी चारों बहनों की मौखिक सहमति से बद्री सिंह (प्रत्यर्थी सं. 1) के नाम पारित करवाया था, उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन हम सभी चारों बहनों की सहमति से हमारे भाई बद्रीसिंह के नाम पारित करवाया गया था। प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 द्वारा उक्त के संबंध में पूर्व में ही दिनांक 29.04.2014 को अपने–अपने शपथ पत्र पेश किये जा चुके है, जिसकी फोटोप्रति जवाब के संलग्न पेश है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 13.07.2015 को अन्य अपील में पेशी पर आने पर जोधपुर आने पर अपीलार्थीनी ने भूमि के बेचान की बात अपने अभिभाषक को बताने पर संपूर्ण जानकारी दिनांक 14.07.2015 को होने का कथन किया है, जो सरासर झूठ व कपोल कल्पित है, क्योंकि अपीलार्थी का पीहर आना जाना खूब रहता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से काबिले खारिज है।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अपीलाधीन मूल नामान्तरकरण का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्को पर मनन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना का निस्तारण किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

9. अपीलांट द्वारा यह अपील ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी के विरासत के नामान्तरकरण संख्या 705 पर तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.1998 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 30.07.2015 को प्रस्तुत की है। जो लगभग 17 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई।

(i)अपीलांट ने इस अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलार्थी की गैर हाजरी में तथा सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किये गया होने से अपीलार्थी को इसकी जानकारी नहीं थी तथा अपीलार्थी दूरदराज की घरेलू महिला होने से अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी नहीं हो सकी। प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा विवादित भूमि को बेचने की सुनने पर दिनांक 14.07.2015 को पटवारी हल्का नारनाडी से खतौनी की नकल प्राप्त की, तब उसको पढने से विवादित ख.नं. 568 प्रत्यर्थी 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई, जिसके बाद पटवारी हल्का से अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 705 की उसी रोज नकल प्राप्त कर अपील तैयार कर जानकारी से अंदर म्याद पेश है। अपील पेश करने में जानबूझ कर किसी प्रकार की कोई देरी नहीं की गई है।

अपीलाधीन नामांतरकरण मृतक खातेदार के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना एवं मृतक खातेदार देवजी की पुत्री अपीलार्थीनी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना अकेले उनके पुत्र के नाम से गैर कानूनी, शून्य व गलत नामांतरकरण दर्ज किया, इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

की म्याद लागू नहीं होती है, जिसके संबंध में अपीलार्थी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 1989 RRD Page 45 Lamuram VS State of Raj., 1994 RRD Page 604 Shera Ram VS Mota Ram & Ors, 1994 RRD Page 606 Girja Bai VS Smt. Nathi Bai, 2002 (1) RRT Page 257 Sbobai VS Shimbhu & Ors, 1994 RRD Page 505 Jetha Ram VS Tehsildar, Sojat & Anr. पेश किये है। म्याद के बिंदु को तय करने से पहले अपील के गुणदोष पर विचार किया जाना आवश्यक होता है जिसके संबंध में भी प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 1998 RRD Page 319 (High court) Urban Improvement Trust VS Punam Chand पेश किया है।

(ii)अपीलांट्स के उक्त कथनों एवं तर्कों का खण्डन करते हुए, प्रत्यर्थीगण ने लिखित जवाब पेश करके कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 13.07.2015 को अन्य अपील में पेशी पर आने पर जोधपुर आने पर अपीलार्थीनी ने भूमि के बेचान की बात अपने अभिभाषक को बताने पर संपूर्ण जानकारी दिनांक 14.07.2015 को होने का कथन किया है, जो सरासर झूठ व कपोल कल्पित है। प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.04.2014 को अपने–अपने शपथ पत्र पेश किये जा चुके है, जिसमें अंकित है कि उक्त जमीन में हम चारों बहिनों का जो बंट था, वह शादी के वक्त गहने व रोकड रूपये प्राप्त कर बंट प्राप्त कर लिया था, उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन हम सभी चारों बहनों की सहमति से हमारे भाई बद्रीसिंह के नाम पारित करवाया गया था। उक्त तीनों शपथ पत्र पूर्व से ही पत्रावली पर मौजूद है। जमीनों के भाव बढने से अपीलार्थी की नियत खराब हो गई है और अब उक्त जमीन हडपना चाहती है। असाधारण विलंब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये जाने पर किसी भी रूप से विलंब को माफ नहीं किया जा सकता। उक्त बिंदु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति आरआरटी 2007 (2) पेज सं. 939 पेश है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से काबिले खारिज है।

(iii) प्रत्यर्थीगण की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र की बहस में कथन किया है कि अपीलांट ने अपीलाधीन नामांतरकरण दर्ज करने हेतु मौखिक सहमति दी है तथा दिनांक 29.04.2014 को अपीलांट व प्रत्यर्थी सं. 02 से 04 तक की ओर से प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में शपथ पत्र भी दिया जा चुका है। प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी प्रकार का संपति हस्तांतरण का वैद्य रजिस्टर्ड बेचाननामा, दानपत्र या हकतर्कनामा एवं प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में जारी शपथ पत्र इस न्यायालय में पेश नहीं

किया है तथा न ही सहमति पत्र पेश किया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस अनुसार निष्कर्ष निकलता है कि अपीलांट देवजी की जायंदा पुत्री है।

चूंकि प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट्स को 1998 से ही अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी थी। मात्र जवाब में लिखने से ही उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। साबित करने का भार/दायित्व प्रत्यर्थीगण पर है एवं जानकारी के तथ्य को साबित करने में असफल रहे है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के संबंध में Bala Krishan v/s Kishna murthi (1998) SCC 123 के न्यायिक दृष्टांत में दिये गये न्यायिक विनिश्चय में प्रतिपादित किया है कि अपील पेश करने में हुए विलंब को कंडोन करने में उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे, तकनीकी आधार पर अपील म्याद बाहर मानकर खारिज नहीं की जानी चाहिए। विलम्ब की अवधि के बजाय, विलम्ब का कारण महत्वपूर्ण है। अपीलांट दूरदराज की घरेलू महिला होने एवं नामांतरकरण पर पारित आदेश एकपक्षीय होने एवं उन्हे कानूनी रूप से जानकारी नही होने से अपील निर्धारित म्याद अवधि में पेश नहीं कर सके, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा इस न्यायालय की सुविचारित राय में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी बाबत प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक, सद्भाविक एवं पर्याप्त प्रतीत होते है। अपीलांट्स ने लापरवाही से अपील पेश नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों के मद्देनजर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद पेश होना सुमार की जाती है।

10. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, ग्राम नारनाडी का अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 705 खातेदार देवजी के फौत होने पर दर्ज किया गया है। देवजी के फौत होने पर नामांतरकरण उसके पुत्र बद्री सिंह के नाम दर्ज करने का कॉलम सं. 14 में पटवारी द्वारा अंकन है तथा समस्या समाधान शिविर में पटवारी रिपोर्ट, जांच गिरदावर के आधार पर नवीन अंकन स्वीकार है, शास्ति 10 रूपये वसूल हो, के अंकन के साथ तहसीलदार, लूणी द्वारा दिनांक 15.09.1998 को स्वीकृत किया गया है। कॉलम सं. 7 में देव जी पिता आसू जी खातेदार के रूप में अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज है। अपीलांट स्वयं को देवजी की पुत्री बता रही है, जिसका खण्डन प्रत्यर्थीगण द्वारा साक्ष्य/सबूत से नहीं किया गया है। अतः हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अपीलांट्स भी प्रथम वर्ग की वारिसान है। हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

1956 की धारा 6 में संशोधन करके (09.09.2005 से प्रभावी), पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायिकी संपति में बराबर का हिस्सा दिया है तथा दिनांक 20.12.2004 तक के विधिवत रूप से (पंजीबद्ध/डिक्री से) बंटवारा को ही माना है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2020 से, प्रकाश बनाम फुलवंती एवं मंगम्मल बनाम टी.बी. राजू एवं अन्य में व्यक्त मत को खारिज (Over ruled) कर दिया है तथा दानम्मा @ सुमन सुपर और अन्य बनाम अमर को भी आंशिक रूप से Over ruled कर दिया है। अतः संशोधन पूर्व की धारा 6 के परंतुक के तहत सन् 2005 के संशोधन के पूर्व में भी महिला सहदायिकी संपति में हक प्राप्त करने की अधिकारिणी थी, जो इस प्रकरण में भी लागू होता है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची के प्रथम वर्ग में अंकित वारिशानानुसार अपीलांट भी देवजी की जायंदा पुत्री होने से, विवादग्रस्त आराजी में देवजी के अन्य वारिशान के साथ–साथ अपना हिस्सा जरिए उत्तराधिकार (succession) प्राप्त करने की कानूनी रूप से अधिकारिणी है तथा अपीलांट को अपने हकों का निर्धारण करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट ने उत्तराधिकार के आधार पर यह अपील पेश की है। बिना जांच किये, एकपक्षीय आदेश से किसी भी उत्तराधिकारी को विरासत से संपति प्राप्त करने के कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय पारित किया गया है तथा राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, जिसके अनुसार विरासत के नामांतरकरणों में मृतक के सभी कानूनी वारिसान की गहराई से जांच पडताल करके, उनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, परंतु उक्त विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है तथा मृतक देवजी के सिर्फ एक पुत्र का नाम ही नामांतरकरण में दर्ज किया है, जो धारा 8 हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य है तथा अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 705 पर पारित आदेश दिनांक 15.09.1998 अपास्त योग्य है एवं स्वर्गीय देवजी के उत्तराधिकारियों की जांच करके नामांतरकरण उनके नाम दर्ज करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

12. परिणामस्वरूप, उपरोक्त विवेचानानुसार एवं निष्कर्षानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम नारनाडी के नामांतरकरण सं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

705 पर तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.1998 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, झंवर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि विवादग्रस्त आराजी के मृतक सहखातेदार देव जी पिता आसू जी के सभी कानूनी वारिसान की गहनता से जांच करे तथा सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुए, राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों की अक्षरतः पालना करते हुए मृतक देव जी के सभी कानूनी वारिसान के नाम से विवादग्रस्त आराजी का नामांतरकरण नियमों में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से दर्ज करे। अगर जडाव देवी द्वारा कोई हक तर्क किया गया है तो उसे भी ध्यान में रखा जावे।

13. उभयपक्षकारान दिनांक 22.06.2026 को तहसीलदार, झंवर के समक्ष उपस्थित होंगे। तहसीलदार, झंवर नियमों में निर्धारित अवधि के भीतर प्रकरण का आवश्यक रूप से निस्तारण करे।
14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख, तहसीलदार, झंवर को तुरंत लौटाया जावे।
15. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।
16. पत्रावली बाद तामिल एवं तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।